Dr. Jaya
Deptt. of Sociology
B.A Part-I (Hons), Paper-2, Unit-
Lecture Series:- 87

Date :- 24/07/2020

Topic :- Social theory of Division of Labour

दुर्खीम द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में श्रम-विभाजन के सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है। दुर्खीम से पहले Adam smith, Spencer तथा John Stuart Mill जैसे अनेक विद्वानों ने आर्थिक आधार पर श्रम-विभाजन की विवेचना की थी लेकिन वह प्रथम समाजशास्त्री हैं जिन्होंने सामाजिक आधार पर श्रम-विभाजन का समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। दुर्खीम से पहले कुछ उपयोगितावादी विचारकों ने यह स्पष्ट किया था कि मनुष्य ने अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा अपनी सुविधा के लिए श्रम विभाजन की व्यवस्था विकसित की। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्रियों का मानना था कि श्रम-विभाजन मनुष्य द्वारा निर्मित एक ऐसा विवेकपूर्ण साधन है जिसके द्वारा समूह की उत्पादकता बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। स्पेन्सर ने श्रम विभाजन की व्याख्या सामाजिक उद्विकास के एक विशेष स्तर तथा कारण के रूप में की। इन सभी विचारों से असहमत होते हुए दुर्खीम ने यह स्पष्ट किया कि श्रम-विभाजन एक ऐसा तथ्य है जिसे सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ दुर्खीम यह भी स्पष्ट करना चाहते थे कि श्रम-विभाजन उन प्रमुख आधारों में से एक है जो समाज में एकता उत्पन्न करते हैं तथा लोगों को एक-दूसरे के निकट लाते हैं। इस प्रकार अपनी पुस्तक समाज में श्रम-विभाजन के दूसरे भाग में दुर्खीम ने एक ओर श्रम विभाजन के प्रारंभिक तथ्य

Scanned with CamScanner

तथा आधुनिक समाज को स्पष्ट किया तो दुर्खीम और उन्होंने श्रम-विभाजन के सामाजिक परिणामों पर प्रकाश डालकर उससे संबंधित प्रवृत्तियों का उल्लेख किया।

इस दृष्टिकोण से प्रस्तुत विवेचन में श्रम-विभाजन के सामाजिक कारकों, श्रम विभाजन की प्रक्रिया तथा इसके प्रभावों के संदर्भ में दुर्खीम के विचारों को समझना आवश्यक है।

Social Factors of Division of labour

दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन मूलतः एक सामाजिक घटना है जो प्रत्येक युग में सभी समाजों की आवश्यक विशेषता रही है। प्राचीन समाजों में भी श्रम-विभाजन का आधार आर्थिक न होकर पूर्णतया सामाजिक ही था। उस समय उत्पादन केवल व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता था, अतः समाज में किसी तरह की आर्थिक असमानताएँ नहीं थीं। उस समय केवल आयु और लिंग के आधार पर ही श्रम-विभाजन की व्यवस्था विद्यमान थी। इस श्रम विभाजन में पुरुषों का काम शिकार करना तथा खाने पीने पदार्थों का संग्रह करने के लिए दूर-दूर के स्थानों पर जाना था जबकि स्त्रियों का कार्य बच्चों का पालन-पोषण करना तथा पारिवारिक दायित्वों को पूरा करना था। सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बाद में अनेक ऐसी दशाएँ उत्पन्न हो गयीं जिन्हें श्रम-विभाजन के प्रमुख कारकों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।